राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(34)एसीटीएडी/माडा/SCA/दौसा/2019–20/16193 दिनांक–29/6/21

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा),
जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.),
दौसा।

विषय– विशेष केन्द्रीय सहायता अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा जारी वित्तीय स्वीकृति क्रमांक 34937–48 दि. 28.09.2018, जो कि कार्य प्रारम्भ न होने के कारण पूर्व में निरस्त की गई थी, की शासन से प्राप्त अनुमोदन उपरान्त पुनः निम्न निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है–

कार्यकारी एजेन्सी– सार्वजनिक निर्माण विभाग **(राशि लाखो में)**

क्र.सं.	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति	
		क्र./दि.	राशि
1	2	3	4
1.	बिणजारी माता से हाई–वे रूपवास तक 1.90 कि.मी. सडक डामरीकरण कार्य तहसील–बांदीकुई	01/25.11.2016	49.80

उपरोक्त कार्य हेतु राशि का व्यय मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परियोजना अधिकारी (माडा), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.), दौसा के पी.डी. खाते में उपलब्ध अनटाईड बचत राशि में से किया जावेगा।

कार्यो के संपादन मे निम्नलिखित शर्तो की पालना सुनिश्चित की जावे–

1. यदि उपरोक्त स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब सूचित किया जावें। दोहरे व्यय के लिए कार्यकारी एजेन्सी जिम्मेदार होगी।
2. राज्य सरकार के निर्देशानुसार समय पर निविदाएं आमंत्रित करवाई जावें ताकि मूल लागत राशि में वृद्धि ना हो। कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न होने व कार्य में विलम्ब के कारण यदि लागत में वृद्धि हो तो कार्यकारी एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी।
3. कार्यकारी एजेन्सी एवं तकनीकी स्वीकृति जारीकर्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग की निर्देशिका की शर्तो के अनुसार कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जाने हेतु उत्तरदायी होगी।
4. निर्विवाद सार्वजनिक भूमि पर ही कार्य कराया जावे।
5. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यो पर ही तकमीना एवं तकनीकी स्वीकृति अनुसार किया जावें। कार्य पूर्ण होने पर कार्यपूर्णता प्रमाण–पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।
6. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं संशोधन नियम, 2013 तथा सामान्य वित्त एवं लेखा नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन किया जावें।
7. सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रावधानों के अनुसार कार्यो का सम्पादन किया जावेगा एवं नियमानुसार उपयोगिता/कार्य पूर्णता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर शेष राशि उपलब्ध करायेंगे।
8. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावें एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावें।

भवदीया,

(प्रज्ञा केवलरमानी)
आयुक्त

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in

राजस्थान सरकार
आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्रमांक– एफ 5(प)(34)एसीटीएडी / माडा / SCA/दौसा / 2019–20 / दिनांक–

<u>प्रतिलिपी –</u>

1. विशिष्ट सहायक, मां.मंत्री महो. जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, सचिवालय, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, दौसा।
4. वित्तीय सलाहकार, कार्यालय हाजा।
5. अतिरिक्त आयुक्त (तृतीय), जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, ए–50, गणेश नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर।
6. निदेशक, मोनिटरिंग कार्यालय हाजा।
7. लेखाकार (माडा), कार्यालय हाजा।
8. माडा मॉनिटरिंग, कार्यालय हाजा।
9. कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा।
10. अभियांत्रिकी शाखा, कार्यालय हाजा।
11. गार्ड फाईल।

//
अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम)

1 सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर (राज.)
EPABX : 2428721-24 FAX : 0294-2428721
E- Mail : comm.tad@rajasthan.gov.in, Website :www.tad.rajasthan.gov.in